

## प्रेस नोट

### थाना गोरखनाथ व स्वाट टीम द्वारा एक अदद अवैध पिस्टल .32 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद मे अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे चेकिंग अभियानके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व पुलिस अधीक्षक अपराध के दिशा निर्देशन व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ/ क्राइम के नेतृत्व /प्रवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ मय फोर्स व स्वाट/ सर्विलांस प्रभारी क्राइम ब्रान्च जनपद गोरखपुर मय टीम द्वारा दिनांक 14.10.19 को झूलेलाल मन्दिर गोरखनाथ रोड के पास अपराध एवं अपराधियों के दृष्टिगत चेकिंग किया जा रहा था कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति बैलेनो कार से स्टेशन की तरफ से गोरखनाथ की तरफ आ रहा है। जो किसी अपराध को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ मय फोर्स मय स्वाट व सर्विलांस टीम मय मुखबिर के धर्मशाला ओवर ब्रिज के पास ब्रिज के नीचे पहुँचा तो कुछ समय पश्चात सामने से एक नीले रंग की कार आते हुई दिखाई पडी जिसकी तरफ मुखबिर खास इशारा कर हट बढ गया कि तत्पश्चात प्रभारी निरीक्षक अपनी सरकारी जीप को दाहिने तरफ करके सामने से आने वाली कार को रोकने का प्रयास किया गया तो उस कार का चालक पुलिस की गाडी देखकर घबरा कर कार रोककर उतर कर भागने लगा कि पुलिस टीम द्वारा घेरघार कर धर्मशाला ओवरब्रिज के नीचेपकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गई तो उसने अपना नाम सचेन्द्र सिंह उर्फ सिन्टू पुत्र जगदीश सिंह निवासी सोपाई घाट थाना बेलघाट, गोरखपुर बताया तथा जामा तलाशी से उसके पास से एक अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर का बरामद हुआ तथा नीले रंग कार बैलेनो सं0 UP 53 DA 5412 के सम्बन्ध में कोई कागजात न होने पर अन्तर्गत धारा 207 mv एक्ट में सीज किया गया। पकड़े गये अभियुक्तों की गिरफ्तारी का विवरण निम्नवत है-

#### **गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता-**

सचेन्द्र सिंह उर्फ सिन्टू पुत्र जगदीश सिंह निवासी सोपाई घाट थाना बेलघाट, गोरखपुर

#### **गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक-**

**स्थान-** धर्मशाला ओवर ब्रिज के नीचे थाना क्षेत्र गोरखनाथदिनांक 14.10.19 समय 23.50

#### **जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया-**

मु0अ0स0 376/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्टथाना गोरखनाथ गोरखपुर ।

#### **गिरफ्तार करने वाले पुलिस कर्मी -**

1. नि० चन्द्रभान सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना गोरखनाथ
2. उ०नि० चन्द्रभान सिंह स्वाट टीम
3. उ०नि० धीरेन्द्र कुमार राय प्रभारी सर्विलांस
4. उ०नि० विनय कुमार सिंह थाना गोरखनाथ
5. हे०का० अविनाश कुमार सिंह थाना गोरखनाथ, गोरखपुर
6. का० उमेश प्रसाद थाना गोरखनाथ, गोरखपुर
7. का० रामनिवास कुमार थाना गोरखनाथ, गोरखपुर
8. का० रसीद अख्तर खाँ स्वाट टीम
9. का० शिवानन्द उपाध्याय स्वाट टीम

**नोट**—अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वर्ष 2011 में बिलन्दपुर थाना क्षेत्र कैण्ट, गोरखपुर निवासी अनिमेश श्रीवास्तव द्वारा मेरे उपर जानलेवा हमला किया गया था जिसमें मुझे पैर में गोली लगी थी उसके बाद मैंने व मेरे साथियों ने वर्ष 2013 में अनिमेश लाला को गोली मारे थे जिसमें वह बच गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में धारा 307 भादवि का मुकदमा मेरे व मेरे साथियों के विरुद्ध पंजीकृत है। इसी रंजिश को लेकर मैं अपने पास अवैध पिस्टल हमेशा लेकर चलता हूँ तथा अभियुक्त का भाई मानवेन्द्र सिंह भी एक शातिर किस्म का अपराधी है जो छोटू साहनी उर्फ संतोष की हत्या काण्ड व गैंगेस्टर में जेल जा चुका है।